05-7-2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत पुत्र प्रतापराम जी, जाति– प्रजापत, निवासी– सुथारों का वास, नई धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, कलावती सुपर मार्केट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत नें लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मुकदमा संख्या 30/2021 की सुनवाई दिनांक 07.7.2021 है, लेकिन बहन के डिलेवरी के कारण डॉक्टर के पास जाने के कारण दिनांक 07.7.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित नही हो

....लगातार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

[illegible] अपर जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.30/2021	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पाउंगा, इसलिये आज दिनांक 05.7.2021 को इस प्रकरण की सुनवाई करावे। जिस पर पत्रावली आज दिनांक 05.7.2021 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि दिनांक 07.1.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये मेरी फर्म से लिया था था और जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया है। निर्माता फर्म द्वारा बिल में ब्राण्ड का नाम अंकित नही किया है। जांच हेतु नमूना पैकेट का लिया है जिसमें मेरी ओर से कुछ नही मिलाया गया है और न ही पैक्ड से छेडछाड की गई है। भविष्य में दुकान हेतु सामान खरीदारी करते समय ब्राण्ड सहित बिल प्राप्त करके सामान लूंगा। मैं अपना जुर्म/गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में मैं ऐसी गलती दुबारा नही करुंगा। यह मेरी प्रथम गलती है। कृप्या मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.1.2021 को समय 2.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कलावती सुपर मार्केट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, स्वरुपगंज, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत, पुत्र प्रतापराम जी, जाति— प्रजापत, निवासी— नई धनारी, तहसील— पिण्डवाडा, जिला सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख
क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
F.S.S.Act Case No.30/2021

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए

अन्दर अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) के 15 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1353 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./59/Act/2021/157 दिनांक 21.1.2021 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत ने धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत पुत्र प्रतापराम जी, जाति– प्रजापत, निवासी– नई धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कलावती सुपर मार्केट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ धनिया साबुत (अम्बिका ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत पुत्र प्रतापराम जी, जाति– प्रजापत, निवासी– सुथारों का वास, नई धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही,. खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कलावती सुपर मार्केट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, सरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी अमृत कुमार प्रजापत को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible] एवं वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा [illegible] 2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(गि. श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही